

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

। विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ।  
पुष्टपतिवार, 21 अक्टूबर, 1999/आश्विन 29, 1921।सक।

संख्या : 53

सदस्यों नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त  
उत्तरी जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 21.10.1999 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको तसम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा  
के माननीय सदस्यजन सर्वश्री जगदीश मुकी, [डा. ] हर्ष वर्धन,  
जय भगवान अग्रवाल, ब्रह्म सिंह तंवर एवं सुशील चौधरी को दिल्ली  
पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अंतर्गत पुलिस के विधि-  
सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिनांक 21.10.1999  
को अपराह्न 12.05 बजे विधान सभा पर नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 21.10.99 को अपराह्न 12.10 बजे,  
वहीं से रिहा कर दिया गया ।

एस.के. शर्मा

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

सचिव

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters )  
Thursday, October 21, 1999/ Ashvina 29, 1921 (Saka)

No. 53

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following information addressed to Hon'ble Speaker,  
Delhi Vidhan Sabha was received from Addl. D.C.P., North Distt.,  
on 21.10.1999:-

"I have the honour to inform you that S/Shri Jagdish  
Mukhi, Dr. Harsh Varshan, Jai Bhagwan Aggarwal, Brahm  
Singh Tanwar and Sushil Choudhery, Members of Legislative  
Assembly, Delhi were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978  
for disobeying the lawful directions of the police on  
21.10.1999 at 1205 hrs.

They were released at 1210 hrs. from same place on  
the same day i.e. 21.10.1999.

S.K. SHARMA  
SECRETARY